

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/13

दिनांक: 03.03.2022

सेवा में,
 श्री मनीष कुमार शर्मा
 पुत्र स्व० एस० एन० शर्मा
 नि० 175/6, बाबुपुरवा कॉलोनी,
 किदवई नगर, कानपुर नगर
 मो० 9839 337 017

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 17.02.2022 के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 17.02.2022 का क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 19.02.2022 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	यह कि क्या आपके विभाग/कार्यालय से हाई टेंशन लाइन लगाने हेतु जिसकी कोड/टावर सं-एफ०टी०पी०-ए०जी०ए०-1 0219 है, (जो आराजी सं० -5043, ग्राम-पतारा, तह०-घाटमपुर जिला-कानपुर नगर में है।) हाई टेंशन टावर लगाने में होने वाली फसल खराब का मुआवजा वर्ष -2012 में कितना दिया गया था?	मांगी गयी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के धारा 8(1)(j) के अंतर्गत, किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं की जा सकती है।
2.	यह कि क्या उक्त मुआवजा छोटे लाल पुत्र स्व० रामचरन निवासी -ग्राम-पतारा, तह०-घाटमपुर जिला-कानपुर नगर को जरिय एन०ई०एफ०टी० आपके विभाग से दिया गया था? या जरिये चेक दिया गया था?	

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री आर० नागपाल
 कार्यपालक निदेशक,
 पावरग्रिड उ०क्षे० - 3
 12 राणा प्रताप मार्ग,
 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,

राणा प्रताप
 03.03.22

[राणा प्रताप]

वरि०महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
 पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
 पावरग्रिड, लखनऊ